न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

उपस्थितः अरविन्द कुमार मिश्रा–II, एच.जे.एस.

सत्र परीक्षण सं0 **– 576 सन् 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** शिवम तिवारी व 03 अन्य

मु0अ0सं0–**48** सन **2025**
धारा–103(1), 191(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कोतवाली कटरा, जिला–मीरजापुर।

आरोप

मैं, अरविन्द कुमार मिश्रा–II, सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर आप अभियुक्तगण **शिवम तिवारी, बुल्ली उर्फ रमाशंकर प्रजापति, मनोज कुमार साहनी** व **सद्दाम उर्फ महताब आलम** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ :–

1. यह कि दिनांक 28.02.2025 को समय लगभग 2 बजे दोपहर बहदस्थान नशा मुक्ति केन्द्र लोहंदी, क्षेत्रान्तर्गत थाना कोतवाली कटरा, जिला मीरजापुर में आप लोगों ने एक अन्य बाल अपचारी विनय पटेल उर्फ छोटू के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा अकालुन के पुत्र तौसीफ अंसारी की हत्या कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–103(1) सपठित धारा–3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक अन्य बाल अपचारी विनय पटेल उर्फ छोटू के साथ एक राय होकर विधि–विरूद्ध जमाव कायम कर बलवा कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–191(2) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने एक अन्य बाल अपचारी विनय पटेल उर्फ छोटू के साथ मिलकर साशय वादिनी मुकदमा अकालुन के पुत्र तौसीफ अंसारी को लाठी–डण्डे व लोहे के रॉड से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों के द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा–115(2) सपठित धारा–3(5) के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–15.10.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

दिनांक–15.10.2025

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।
ID No.: UP6030

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर।

सत्र परीक्षण सं0 – **576 सन् 2025**

उ0प्र0 राज्य **बनाम** शिवम तिवारी व 03 अन्य

मु0अ0सं0–**48** सन **2025**
धारा–103(1), 191(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–कोतवाली कटरा, जिला–मीरजापुर।

15.10.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण शिवम तिवारी, बुल्ली उर्फ रमाशंकर प्रजापति, मनोज कुमार साहनी व सद्दाम उर्फ महताब आलम जेरे हिरासत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण शिवम तिवारी, बुल्ली उर्फ रमाशंकर प्रजापति, मनोज कुमार साहनी व सद्दाम उर्फ महताब आलम के विरूद्ध धारा–103(1) सपठित धारा–3(5), 191(2) व 115(2) सपठित धारा–3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्तगण शिवम तिवारी, बुल्ली उर्फ रमाशंकर प्रजापति, मनोज कुमार साहनी व सद्दाम उर्फ महताब आलम के विरूद्ध धारा–103(1) सपठित धारा–3(5), 191(2) व 115(2) सपठित धारा–3(5) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग किया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 29.10.2025 को पेश हो। नियत तिथि के लिए साक्षीगण जरिए समन तलब हों।

सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।